परिपत्र संख्या- 07 /गो0(1)10/68/2020 दिनांक- 10 जून, 2020

प्रेषक,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवम् सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि प्रदेश की कारागारों पर तैनात कार्मिकों द्वारा विभिन्न स्तरों, उचित माध्यम एवं स्वयं कारागार मुख्यालय में उपस्थित होकर अपने स्थानान्तरण का अनुरोध किया जा रहा है।

अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-1/3/96/का-4-2020 दिनांक 12 मई, 2020 द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश संख्या-3/2018/1/3/96-का-4-2018 दिनांक 29 मार्च, 2018 द्वारा सत्र 2018-2019 से 2021-2022 के लिए नीति निर्धारित की गयी थी। वर्तमान में स्थानान्तरण सत्र 2020-21 में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत अग्रिम आदेशों तक सभी प्रकार के स्थानान्तरण पर रोक लगायी गयी है।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य के लिए यह सुनिश्चित किया जाये कि स्थानान्तरण के सम्बन्ध में किसी भी कार्मिक का प्रार्थना-पत्र अग्रसारित न किया जाय और न ही किसी कार्मिक को इस निमित्त अनुरोध किये जाने हेतु कारागार मुख्यालय आने की अनुमति प्रदान की जाय।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक: शासनादेश दि० 12-05-2020 की प्रति

10/6/20

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवम् सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

P.T.O.

संख्या-8/2020/1/3/96-का-4-2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ:: दिनांक :: 12 मई,2020

विषय:- सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति।

महोदय,

सरकारी अधिकारियों /कर्मचारियों के संबंध में पूर्व में जारी स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश संख्या-3/2018/1/3/96-का-4-2018, दिनांक 29 मार्च, 2018 के द्वारा सत्र 2018-2019 से 2021-22 के लिए नीति निर्धारित की गयी थी। वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2020-21 में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत अग्रिम आदेशों तक सभी प्रकार के स्थानान्तरण पर रोक रहेगी।

2- सेवानिवृत्ति, मृत्यु, चिकित्सीय अशक्तता (Incapicitation), प्रोन्नति, त्यागपत्र, निलम्बन अथवा सेवा से पृथक किये जाने के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्ति विशेष को प्रशासनिक विभाग स्थानान्तरण नीति में वर्णित सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर भर सकते हैं, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इस रिक्ति भरने से उत्पन्न होने वाली परिणामी रिक्ति पर तैनाती नहीं की जा सकेगी। अपरिहार्य स्थिति में मा0 मुख्यमंत्री जी से अनुमोदनोपरान्त स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

भवदीय,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या-8/2020/1/3/96-का-4-2020,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल जी/ मा0 मुख्यमंत्री जी/ विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0।
2- स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश/ निजी सचिव मा0 मंत्रीगण।
3- निदेशक सूचना उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/ मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश।
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।